

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO)..... मुकाम.....
बायतु

..... जीधारास बनाम कांगाराम काटे

किस्म मुकदमा..... ११७ नं..... ३०२/१७ सन्..... २०१७

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/12/17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रिणधाराम सिपाही</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>१११, १२४</u></p> <p>राजस्थान कार्यकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>२५/१/२०१८</u> को पेश हो।</p>	
24/1/18	<p style="text-align: right;"><u>सहायक कलेक्टर (SDO)</u> <u>बायतु</u></p> <p><u>प्रार्थी काटिले उपरान्त विप्राथी के</u></p> <p><u>नोटिस बायलुड तामिल अनुपास्ति / प्रार्थी</u></p> <p><u>के काटिले की एक पासिप बहस हुनी जई</u></p> <p><u>प्रार्थी के काटिले ने बताया की प्रार्थी का</u></p> <p><u>अपने आलेखी जेता के चाले ओर पक्के</u></p> <p><u>वेपस आलेखी कलाग अहकाम में भाषणक है।</u></p> <p><u>इस लिए प्रार्थी का आलेख स्वीकार रकिता कर</u></p> <p><u>वेपसके काउसा को रकिता कर</u></p> <p><u>मतः प्रार्थी का वेपसके काउसा</u></p> <p><u>स्वीकार रकिता कर, लहमीताप काउसा के</u></p> <p><u>काकिरग निमुक्त रकिता जाना है। के काउसा</u></p> <p><u>दिनांकता है रके आप लय का अपके</u></p> <p><u>अधिनियम सिमी. अं. काकिरग गिरीसक प्रार्थी</u></p> <p><u>के आलेखी जेता की पक्के वेपसके को के प</u></p> <p><u>अनुक्त जमाउराउ के पालग रिकार प्रार्थी</u></p>	

होई पर काकिरग पगावकी हो पगावकी केसका शुभार हो, इज कम्बर ले पक हो, काकिरग इपतर हो

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/122

दिनांक- 14/2/18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जीयाराम पुत्र ताजाराम जाति
जाट निवासी लीलाला, बायतु
पनजी तह. बायतु जिला
बाड़मेर

1. कानाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 17
निवासी लीलाला, बायतु पनजी
तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 302/17

आदेश

मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 376/73 रकबा 64.17 बीघा व मौजा लीलाला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 489/166 रकबा 12.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक/वाद/2018/ 123 + 127
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
दिनांक- बायतु

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री जीयाराम पुत्र ताजाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री कानाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 17।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।



(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु